## न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 09/2016

राज्य बनाम अशोक कुमार साह

## –:: आदेश ::–

प्रस्तुत आपूर्त्ति अपील अपीलार्थी अशोक कुमार साह द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 2477, दिनांक 14.12.2016 द्वारा अपीलार्थी की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति 394/2007 को रद्द किये जाने सम्बन्धी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि महिषी प्रखंड अंतर्गत महिसरहो पंचायत के अनुज्ञप्ति संख्या–394/2007 से प्राप्त अनुज्ञप्ति के आधार पर वे जन वितरण प्रणाली के दूकानदार हैं।

2. अपीलार्थी को आवंटित खाद्यान्न एवं किरासन तेल का ससमय उठाव कर लाभार्थियों के बीच निर्धारित मात्रा में नियत कीमत पर वितरण करते आ रहे हैं और कभी किसी भी उपभोक्ता ने उनके विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की हैं।

3. ग्रामीण राजनीति के तहत कुछ लोगों के अवैध माँग की पूर्त्ति नहीं होने पर अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत की गयी तथा अपीलार्थी के जानकारी बिना जाँच पदाधिकारी ने जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित कर दिया, जिस पर अनुज्ञापण पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी।

4. अनुज्ञापण पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1570/गो0, दिनांक 08.10.2015 के अनुपालन में लगाये गये आरापों पर अपीलार्थी ने 14.10.2015 को कारण पृच्छा समर्पित किया था तथा पुनः ज्ञापांक 88, दिनांक 15.01.2016 से अनुपालन में द्वितीय कारणपृच्छा भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं कैश मेमो की छायाप्रति संलग्न कर 21.01.2016 को समर्पित किया था।

5. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा प्रथम एवं द्वितीय कारणपृच्छा पर सम्यक विचार किये बिना और अपीलार्थी को सुनने का अवसर दिये बिना अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया है, जो न्यायसंगत नहीं है।

अपने कथन के समर्थन में अपीलार्थी ने निम्नांकित आधार दिया है :–

(i) कारणपृच्छा नोटिस के एनेक्सचर–1 से स्पष्ट है कि दो आरोपों पर कारणपृच्छा की माँग की गयी थी और समर्पित कारणपृच्छा को बिना स्पष्ट कारण के असंतोषजनक करार दिया गया, जबकि अपेक्षित कागजातों की छायाप्रति के साथ कारणपृच्छा दाखिल किया गया था और इस तरह न्याय की दृष्टिकोण से सर्वथा गलत है।

(ii) अपीलार्थी को सुनने का अवसर दिये बिना आदेश पारित कर दिया गया।

(iii) शिकायत पत्र, जाँच प्रतिवेदन अपने आप में भेग एण्ड इन्डीफीनीट है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि तीन डीलरों में कब और किन्हें आनाज की आपूर्त्ति की गयी। जब उन्हें आवंटन प्राप्त हुआ अपीलार्थी ने उठाव कर वितरण कर दिया परन्तु इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया।

(iv) स्टॉक पंजी, वितरण पंजी एवं कैश मेमो की छायाप्रति से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को सरौनी ग्राम के लाभार्थियों के बीच वितरण की जानी वाली विभिन्न योजनाओं की खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण समय पर लाभार्थियों के बीच किया जाता रहा है, जिसपर विचार नहीं किया गया।

(v) इस तरह पारित आदेश आर्विट्रेरी एवं न्याय के प्रतिकूल है।

अन्ततः अपीलार्थी ने अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की याचना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इनके द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्त्ति की जाने वाली खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण ससमय नहीं किया जाना, उचित मात्रा एवं उचित मूल्य पर वितरण नहीं किया जाना, उपभोक्ताओं को कैशमेमो नहीं देना, बाट अनुज्ञप्ति नहीं रखना, उपभोक्ताओं से सही व्यवहार नहीं करना इत्यादि अनियमितता पायी गयी है। साथ ही, अपीलार्थी ने अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 88/गो0, दिनांक 15.01.2016 द्वारा माँगा गया द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब भी समर्पित नहीं किया।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पर्याप्त विचार कर आदेश पारित किया गया है। अपील स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

20.9.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

20.9.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1400–2/विधि, सहरसा, दिनांक 13-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14.09.017